प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 1082 / 2007

अपीलकर्ता : चेतनराम राजवाडे

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 10.10.2012 को सूचीबद्ध किया जाये

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही -

"प्रितिंकर दिवाकर"

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक: 1082/2007

अपीलार्थी : चेतनराम राजवाड़े

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री डी.के. ग्वाले, प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(18.10.2012)

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर (सरगुजा) द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 20/2007 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.10.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ. अधिनियम की धारा 18- ख के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, एवं अर्थदंड का भुगतान न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतान होगा ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.4.2007 को जब निरीक्षक सपन चौधरी (अभियोजन साक्षी-21) भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 54/2007 के संबंध में अन्वेषण कर रहे थे, तब उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बजरंग गुप्ता (दोषमुक्त अभियुक्त) ने अपने रिश्तेदारों बिरजू गुप्ता, जितेंद्र नायक

(सभी दोषमुक्त) जो झारखंड के निवासी हैं, को बुलाया और ग्राम गणेशपुर के रामनाथ राजवाड़े की सहायता से अभियुक्त/अपीलार्थी चेतन, चंद्रिका और दोषमुक्त अभियुक्तों अच्छेलाल, जगदीश, धनसिंह और मिट्ठू की भूमि पर कोई 'चंद्रमुखी मसाला' की फसल उगाने के बहाने अफीम की खेती करने हेतु भूमि उपलब्ध कराई थी और उक्त फसल की कटाई के बाद, वे उसे एकत्र कर फरार हो गए थे। यह सूचना प्रदर्श पी-2 के माध्यम से लेखबद्ध की गई, इसे प्रदर्श पी-3 के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया और फिर सपन चौधरी (अभियोजन साक्षी-21) कर्मचारियों के साथ निर्दिष्ट खेत की ओर रवाना हुए। निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने पर, उनके द्वारा 8 खेतों का निरीक्षण किया गया जो हाल ही में जोते हुए पाए गए थे और सूक्ष्म निरीक्षण करने पर, सूखी डंठलें और छोटे फल अर्ध-जली अवस्था में पाए गए। स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार किया गया। खेतों के आधिपत्य का निरीक्षण आधिपत्य पंचनामा प्रदर्श पी-5 के माध्यम से किया गया और अभियुक्त/अपीलार्थी चेतन को 4 खेतों, अभियुक्त चंद्रिका को 2 खेतों और अभियुक्त अच्छेलाल को 2 खेतों के आधिपत्य में पाया गया। उगाई गई फसल के संबंध में पहचान मेमोरेंडम प्रदर्श पी-8 और पी-9 तैयार किए गए और उसे अफीम की फसल पाया गया।नोटिस प्रदर्श पी-77 देने और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात जब्तशुदा अर्क का वजन प्रदर्श पी-11 के माध्यम से किया गया। जब्तशुदा वस्तुओं को प्रदर्श पी-12 के माध्यम से सील किया गया, प्रदर्श पी-13 और 14 के माध्यम से नमूने लिए गए, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के तहत देहाती नालिशि प्रदर्श पी-94 दर्ज की गई, और जब्तशुदा विनिषिद्ध पदार्थ को प्रदर्श पी-80 के माध्यम से आरक्षक एतवा मार्शल (अभियोजन साक्षी-16) को सौंप दिया गया। वर्तमान अपीलार्थी सहित 14 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-95 दर्ज की गई। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 57 का अपालन सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत रिपोर्ट प्रदर्श पी-90 के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई। दिनांक 17.04.2007 को अभियुक्त/अपीलार्थी चेतन का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-29 के माध्यम से दर्ज किया गया और उसके आधार पर, उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी-31 के माध्यम से 3 किलोग्राम अफीम जब्त की गई। तराजू का सत्यापन प्रदर्श पी-24 के माध्यम से किया गया और तौल पंचनामा प्रदर्श पी-25 के माध्यम से तैयार किया गया। विनिषिद्ध पदार्थ और नमूनों के संबंध में नमूना सील मेमो प्रदर्श पी-28 अलग से तैयार किया गया, जब्तशुदा विनिषिद्ध पदार्थ को प्रदर्श पी-82 के माध्यम से मालखाने में जमा किया गया और उस आशय की सूचना प्रदर्श पी-91 के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को भी दी गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी-101 प्राप्त होने के बाद, स्वापक औषधि और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 18, 27- क और 29 के अपराधों के लिए 14.06.2007 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। सभी 11 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाया गया।

3. अपने प्रकरण के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 21 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का अभिवक किया ।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अधीनस्थ न्यायालय ने यहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 18-ख के तहत और अभियुक्त चंद्रिका को धारा 18- ग के तहत दोषसिद्ध किया है, जबकि शेष अभियुक्त व्यक्तियों को उसके द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। यह सूचित किया गया है कि अभियुक्त चंद्रिका पहले ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित संपूर्ण कारावास की दंड काट चुका है।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामले में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) का पूर्णतः अपालन हुआ है। उनके अनुसार, नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने में 1 महीने से अधिक का विलंब हुआ है और इसलिए, जब्त किये गए विनिषिद्ध पदार्थ के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-21) का कथन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विरोधाभासों और त्रुटि से भरा होने के कारण दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। मामले में बहस के दौरान, अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-21) और एतवा मार्शल (अभियोजन साक्षी-16) के कथनों का संदर्भ दिया। उन्होंने तर्क दिया कि मेमोरेंडम और जब्ती के साक्षीदारों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उनके अनुसार, दूसरी घटना के संबंध में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 का पूर्णतः अपालन हुआ है, जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी के मेमोरेंडम के आधार पर उससे 3 किलोग्राम अफीम की जब्ती की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब्त किये गए विनिषिद्ध पदार्थ को सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखा गया था। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी 17.04.2007 से जेल में है, उसके विरुद्ध कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इन परिस्थितियों में, यदि यह न्यायालय उसकी दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, तो कम से कम उसे दिए गए दंड को उसके द्वारा पहले से काटी गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

6. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया गया है और गुप्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सूचना प्राप्त होने के बाद, इसे प्रदर्श पी-2 के माध्यम से लेखबद्ध किया गया था, जिसमें अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फसल की खेती और संग्रहण के संबंध में सूचना दर्ज है। उन्होंने तर्क दिया कि सूचना प्रदर्श पी-2 के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को भी भेजी गई थी और उसके बाद अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-21) निर्दिष्ट स्थान के लिए रवाना हुए। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, अन्वेषण के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों का मेमोरेंडम दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर 17.04.2007 को अभियुक्त/अपीलार्थी के घर से 3 किलोग्राम अफीम जब्त की गई थी और चूंकि उनका मेमोरेंडम अन्वेषण के दौरान दर्ज किया गया था, इसलिए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 का पुनः पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्त के मेमोरेंडम के दर्ज करने को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के तहत सूचना के संग्रह के रूप में माना जा सकता है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-21) के पास अपीलार्थी से पूछताछ करने और उक्त सूचना के आधार पर आगे बढ़ने की पूरी शक्ति है। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने में कोई अत्यधिक विलंब नहीं हुआ है क्योंकि नमूने 14.04.2007 को लिए गए थे और उसके बाद उन्हें विनिषिद्ध पदार्थ के साथ दो तिथियों पर सुरक्षित अभिरक्षा में जमा किया गया था और फिर नमूनों को अगले ही दिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी-101 से स्पष्ट है और इस आशय के साक्षी आरक्षक दिलबहार टोप्पो (अभियोजन साक्षी-19) हैं। राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-21) का कथन पूरी तरह से विश्वसनीय है और महत्वपूर्ण तथ्यों पर इसमें कोई विरोधाभास नहीं है और इसके अलावा, यह अन्य संबंधित साक्ष्यों से विधिवत पुष्ट होता है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 55 के प्रावधानों का भी पालन किया गया है क्योंकि थाना प्रभारी होने के नाते, अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-21) ने स्वयं संबंधित अपराध का अन्वेषण किया और जब्तशुदा विनिषिद्ध पदार्थ को मालखाने में जमा किया तथा नमूना सील का मेमोरेंडम प्रदर्श पी-28 के माध्यम से अलग से तैयार किया गया था। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, धारा 55 के प्रावधान केवल निर्देशात्मक प्रकृति के हैं न कि आज्ञापक, और इस प्रकार, उक्त धारा का सारभूत अपालन , जैसा कि इस मामले में किया गया है, पर्याप्त है। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी पर अधिरोपित दंड को 10 वर्ष के कारावास से कम नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 18-ख के तहत अपराध के लिए यह न्यूनतम निर्धारित दंड है और अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दंड देते समय पहले से ही बहुत उदारता बरती है। विनिषिद्ध पदार्थ को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के संबंध में, राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 18.04.2007 का प्रदर्श पी-82ग जो मालखाना रजिस्टर की प्रति है, अपीलार्थी से जब्त की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गई 3 किलोग्राम अफीम को जमा करना दर्शाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब्त किए गए नमूने 20.05.2007 को प्रदर्श पी-86 के माध्यम से मालखाने से निकाले गए थे और उग दिन नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए थे जो वहां 21.05.2007 को प्रदर्श पी-92 के माध्यम से अक्षुण्ण अवस्था में प्राप्त हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रदर्श पी-81 मालखाना प्रभारी (अभियोजन साक्षी-16) द्वारा जारी की गई एक रग द है।

7. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

8. अन्वेषण अधिकारी सपन चौधरी (अभियोजन साक्षी-21) ने कथन किया है कि घटना के दिनांक को जब वह अपराध क्रमांक 54/2007 के अन्वेषण के पश्चात थाने लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दोषमुक्त अभियुक्त बजरंग गुप्ता ने झारखंड से अपने रिश्तेदारों बिरजू, जितेंद्र और मुकेश (सभी दोषमुक्त) को बुलाया था और यहाँ वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी, अभियुक्त चंद्रिका और दोषमुक्त अभियुक्तों अच्छेलाल, जगलसाय, धनसिंह और मिट्ठू राजवार की सहायता से वह 'चंद्रमुखी मसाला' की फसल के बहाने अफीम उगा रहा था तथा फसल की कटाई और संग्रहण के बाद वे फरार हो गए। इसके पश्चात, उन्होंने सूचना को प्रदर्श पी-2 के माध्यम से लेखबद्ध किया, सूचना न भेजने के संबंध में साक्षियों की उपस्थिति में पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया, साक्षियों की जानकारी के आधार पर आधिपत्य पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया और साक्षियों की उपस्थिति में प्रदर्श पी-6 के माध्यम से खेत के निरीक्षण पर पाया कि खेत हाल ही में जोते गए थे, वहां कोई फसल खड़ी नहीं थी तथा वहां सूखी अवस्था में डंठल और छोटे फल पाए गए जिन्हें उनके द्वारा एकत्र किया गया। उन्होंने खेत के आधिपत्य के संबंध में भी निरीक्षण किया और पाया कि कुल 8 खेतों में से 4 वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के आधिपत्य में थे, 2 अभियुक्त चंद्रिका के आधिपत्य में और 2 दोषमुक्त अभियुक्त अच्छेलाल के आधिपत्य में थे तथा साक्षियों द्वारा यह प्रकट किया गया कि दोषमुक्त अभियुक्त बजरंग गुप्ता, बिरजू, मुकेश, जितेंद्र और रामनाथ ने अभियुक्त चंद्रिका और अन्य दोषमुक्त अभियुक्तों अच्छेलाल और मिट्ठू की सहायता से 'चंद्रमुखी मसाला' की फसल के बहाने अफीम उगाई थी और इस आशय का पंचनामा प्रदर्श पी-5 के माध्यम से तैयार किया गया। प्रदर्श पी-7 के माध्यम से खेत के सूक्ष्म निरीक्षण पर, उन्होंने डंठल और छोटे फल कुछ अर्ध-जली अवस्था में पाए। उन्होंने पहचान मेमोरेंडम प्रदर्श पी-8 और पी-9 भी तैयार किए और इस प्रकार जब्त की गई विनिषिद्ध पदार्थ की पहचान अफीम के रूप में की गई। नोटिस प्रदर्श पी-77 देने के बाद, तौल उपकरण मंगवाए गए और उन्हें प्रदर्श पी-10 के माध्यम से सत्यापित किया गया। दिनांक 17.04.2007 को वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया कि झारखंड के निवाग बिरजू, मुकेश और जितेंद्र किग रामनाथ के घर में रह रहे थे और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'चंद्रमुखी मसाला' की फसल उगाने के बहाने उन्होंने उस गाँव में कुछ भूमि अधिग्रहित की थी। उसने 5,000/- रुपये में भूमि पट्टे पर ली थी और उसके बाद कट का निशान लगाने पर उसे पता चला कि उक्त फसल अफीम थी और अभियुक्त बिरजू के कहने पर उसने उसे अपने घर में संग्रहित किया था। इस आशय का मेमोरेंडम प्रदर्श पी-29 है। नोटिस प्रदर्श पी-78 देने के बाद, तौल उपकरण मंगवाए गए जिनका सत्यापन प्रदर्श पी-24 के माध्यम से किया गया और वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी की निशानदेही पर उसके घर से अफीम के फल जब्त किए गए और प्रदर्श पी-25 के माध्यम से तौल करने पर यह 3 किलोग्राम पाया गया। उग दिन प्रदर्श पी-31 के माध्यम से, अभियुक्त/अपीलार्थी से एक प्लास्टिक बैग में रखे 3 किलोग्राम अफीम के फल भी जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि 17.04.2007 को उन्होंने साक्षियों की उपस्थिति में अभियुक्त चंद्रिका से पूछताछ की थी, जिस पर उसने उन्हें बताया कि अभियुक्त बजरंग गुप्ता के रिश्तेदार बिरजू, मुकेश और जितेंद्र, दोषमुक्त अभियुक्त रामनाथ के घर में रह रहे थे और दोषमुक्त अभियुक्त मिट्ठू और रामनाथ की मदद से वे 'चंद्रमुखी मसाला' की फसल के बहाने 15 डिसमिल भूमि पर अफीम की खेती कर रहे थे। तौल के बाद, विनिषिद्ध पदार्थ को प्रदर्श पी-12 के माध्यम से सील किया गया, डंठल और फलों को प्रदर्श पी-13 और पी-14 के माध्यम से जब्त किया गया, देहाती नालिशि प्रदर्श पी-94 तैयार की गई, थाने लौटने के बाद जब्त डंठल और फलों को पावती प्रदर्श पी-80 के माध्यम से मालखाने में जमा किया गया और फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-95 दर्ज की गई। उनके अनुसार, आरक्षक के माध्यम से प्रदर्श पी-90 द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को सूचना भेजी गई थी। उन्होंने बताया कि उग दिन, अभियुक्त चंद्रिका की निशानदेही पर प्रदर्श पी-32 के माध्यम से एक प्लास्टिक बैग में रखी अफीम बरामद की गई थी और वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी तथा अभियुक्त चंद्रिका से जब्त की गई विनिषिद्ध पदार्थ में से रासायनिक परीक्षण के लिए भेजने हेतु 100-100 ग्राम के दो नमूने निकाले गए और उन्हें प्रदर्श पी-27 और पी-28 के माध्यम से सील किया गया। अभियुक्त रामनाथ राजवाड़े, मिट्ठू, जगलसाय, धनसिंह, चंद्रिका और वर्तमान अपीलार्थी को गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श पी-33 से पी-39 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त/अपीलार्थी और अभियुक्त चंद्रिका से जब्त विनिषिद्ध पदार्थ को प्रदर्श पी-81 के माध्यम से सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए सौंप दिया गया और गिरफ्तारी के संबंध में सूचना भी प्रदर्श पी-91 के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति आकर गाँव में बसता है, तो उसके संबंध में सूचना थाने में दर्ज किया जाना आवश्यक है, परंतु गाँव गणेशपुर के निवाग के रूप में अभियुक्त जितेंद्र, मुकेश और बिरजू के नाम उसमें उल्लिखित नहीं हैं। इस साक्षी के अनुसार, उसे गाँव गणेशपुर में अभियुक्त बिरजू, मुकेश और जितेंद्र की चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में जानकारी नहीं थी या यह कि वे अभियुक्त रामनाथ के घर में रह रहे थे। उसने इस बात से भी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि घटना के बाद ये व्यक्ति ग्राम श्रीगढ़ में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किराए के मकान में रह रहे थे। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने गाँव गणेशपुर में उगाई जा रही फसल के संबंध में कोई जानकारी एकत्र नहीं की थी। उसने इस बात से इनकार किया है कि संबंधित खेत से उसके द्वारा कोई जब्ती नहीं की गई थी। उसने स्वीकार किया है कि अभियुक्त बिरजू, मुकेश, जितेंद्र, बजरंग, मिट्ठू या रामनाथ से किराए के भुगतान के संबंध में कोई दस्तावेज या अनुबंध उसे प्राप्त नहीं हुआ था। उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त बिरजू, मुकेश, जितेंद्र और बजरंग का मेमोरेंडम कथन उसने स्वयं अपनी मर्जी से दर्ज किया था। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि अभियुक्त बिरजू, मुकेश, जितेंद्र, बजरंग और मिट्ठू के नाम उसने वर्तमान मामले में फँसाने के लिए झूठे ही शामिल किए थे। कंडिका-53 में उसने स्वीकार किया है कि उसने अफीम की पहचान के संबंध में प्रशिक्षण लिया था। उसने आगे स्वीकार किया है कि नजरी नक्शा तैयार करने के लिए वह घटनास्थल पर नहीं गया था और प्रदर्श पी-4 में भूमि का क्षेत्रफल उसके द्वारा अनुमान के आधार पर उल्लेखित किया गया है। उसने आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-4 में वर्णित खेत में उसे कोई फसल नहीं मिली थी। कंडिका-58 में उसने कथन किया है कि वर्तमान अपीलार्थी के मेमोरेंडम के आधार पर वह उसके साथ उसके घर गया था जहाँ उसकी निशानदेही पर अफीम जब्त की गई थी। उसने कथन किया है कि जब्ती के बाद विनिषिद्ध पदार्थ को विधिवत सील किया गया था, नमूने अलग से लिए गए थे और उस आशय का पंचनामा तैयार किया गया था। उसने इस बात से इनकार किया है कि साक्षियों के कथन उसने स्वयं अपनी मर्जी से दर्ज किए थे और जब्ती की कार्यवाही थाने में ही तैयार की गई थी। कंडिका-63 में उसने स्वीकार किया है कि जब्तशुदा विनिषिद्ध पदार्थ की पहचान जलाकर या सूंघकर नहीं की गई थी। इस साक्षी के अनुसार, आरोप पत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में उसने यह उल्लेख नहीं किया है कि जब्तशुदा विनिषिद्ध पदार्थ अफीम के अलावा और कुछ नहीं थी। उसके अनुसार, विनिषिद्ध पदार्थ की अफीम के रूप में पहचान करने के लिए उसने चखने आदि जैग पद्धति नहीं अपनाई थी। उसने इस बात से इनकार किया है कि संबंधित खेत में उसे राख मिली थी परंतु उसकी जब्ती नहीं की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूरन राम (अभियोजन साक्षी-1), दिनेश (अभियोजन साक्षी-2), अकल साय (अभियोजन साक्षी-3), बालेश्वर (अभियोजन साक्षी-4), नरेश राम (अभियोजन साक्षी-5) और राजकुमार (अभियोजन साक्षी-6) मेमोरेंडम , जब्ती और विनिषिद्ध पदार्थ की पहचान के साक्षी हैं, परंतु उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। राजीव कुमार श्रीवास्तव (अभियोजन साक्षी-7) पटवारी हैं, जिन्होंने अभियुक्त बजरंग गुप्ता की चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट दी थी। उन्होंने किग के विरुद्ध कुछ भी विशिष्ट कथन नहीं किया है। बसंतराम राजवाड़े (अभियोजन साक्षी-9), रामनिवास (अभियोजन साक्षी-10), प्रेमसाय (अभियोजन साक्षी-11), रामसाय (अभियोजन साक्षी-12), बलसाय राजवाड़े (अभियोजन साक्षी-13), मुकेश कुमार (अभियोजन

साक्षी-14), शिव प्रसाद (अभियोजन साक्षी-15) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। आशीष गुहा (अभियोजन साक्षी-8), जो हल्का क्रमांक 34 गौरता, थाना लखनपुर के पटवारी हैं, उन्होंने भूमि से संबंधित कुछ दस्तावेजों को सिद्ध किया है और नजरी नक्शा प्रदर्श पी-41, पी-42, पी-46 और पी-47 तैयार किया है। उन्होंने उक्त भूमि का खसरा पंचसाला भी सिद्ध किया है और उन व्यक्तियों का विवरण दिया है जो उसके आधिपत्य में थे। एतवा मार्शल (अभियोजन साक्षी-16) प्रधान आरक्षक हैं, जिन्होंने कथन किया है कि दिनांक 14.04.2007 को अपराध क्रमांक 56/2007 के संबंध में थाना प्रभारी ने उन्हें मालखाने में जमा करने के लिए चार सील बंद पैकेट दिए थे, जिन्हें उनके द्वारा रजिस्टर के क्रमांक 35 पर प्रविष्टि करने के पश्चात विधिवत जमा किया गया और विनिषिद्ध पदार्थ प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने प्रदर्श पी-81 और पी-81 के माध्यम से थाना प्रभारी को पावती भी दी। उन्होंने मूल रजिस्टर प्रदर्श पी-82 को भी सिद्ध किया है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी-82-ग है। इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने के लिए नमूने निकाले थे और इस आशय की प्रविष्टियाँ रोजनामचा क्रमांक 769 में की गई थीं। उन्होंने अपराध क्रमांक 54/2007 के संबंध में प्रदर्श पी-83 के माध्यम से रोजनामचा सान्हा क्रमांक 553 में की गई प्रविष्टियों को भी सिद्ध किया है। उन्होंने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 599 में प्रदर्श पी-84 के माध्यम से की गई प्रविष्टि को भी सिद्ध किया है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी-84ग है, जिसके द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी। उन्होंने आगे रोजनामचा सान्हा क्रमांक 578 में प्रदर्श पी-85 के माध्यम से की गई प्रविष्टि को सिद्ध किया है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी-85ग है, जिसके द्वारा देहाती नालिशि दर्ज करने के पश्चात पुलिस सील बंद पैकेटों के साथ थाने लौटे थे। उन्होंने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 769 में प्रदर्श पी-86 के माध्यम से की गई प्रविष्टि को सिद्ध किया है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी-86ग है, जिसके द्वारा सील बंद पैकेट मालखाने में जमा किए गए थे। उन्होंने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 770 में प्रदर्श पी-87 के माध्यम से की गई प्रविष्टि को भी सिद्ध किया है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी-87ग है, जिसके द्वारा सील बंद पैकेट आरक्षक दिलबहार टोप्पो को दिए गए थे जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के लिए रवाना हुए थे। प्रतिपरीक्षण में मामूली विरोधाभासों को छोड़कर वह अडिग रहे और साक्ष्य दिया कि उन्होंने किस प्रकार कार्यवाही पूर्ण की। चमरू दास (अभियोजन साक्षी-17) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। बलभद्र राम (अभियोजन साक्षी-18) वह आरक्षक हैं जिन्होंने अन्वेषण में सहायता की और दस्तावेज प्रदर्श पी-90 और पी-91 को सिद्ध किया। दिलबहार टोप्पो (अभियोजन साक्षी-19) वह साक्षी हैं जो मालखाने से नमूने निकालने के बाद उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले गए और पावती प्रदर्श पी-92-ग प्राप्त की। संजय कुमार पांडे (अभियोजन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साक्षी-20) वह आरक्षक हैं जो नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अंबिकापुर में कार्यरत थे और उन्होंने दिनांक 17.04.2007 को आरक्षक से प्रदर्श पी-90 और पी-91 के माध्यम से सूचना प्राप्त की थी।

9. साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.04.2007 को, अभियुक्त/अपीलार्थी को उन चार खेतों के आधिपत्य में पाया गया था जहाँ अफीम की खेती की जा रही थी और मेमोरेंडम प्रदर्श पी-29 के आधार पर, उसके कब्जे से 3 किलोग्राम अफीम पाई गई थी। इस न्यायालय को अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं दिखता कि अधिनियम की धारा 42(2) का पूर्णतः अपालन हुआ है क्योंकि गुप्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात उसे प्रदर्श पी-2 के माध्यम से लेखबद्ध किया गया था, जिसमें न केवल खेती के संबंध में विवरण था, बल्कि वर्तमान अपीलार्थी सहित अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फसल के संग्रहण के संबंध में भी विवरण था और उक्त सूचना में अभियुक्त/अपीलार्थी का नाम भी मौजूद था। गुप्त सूचना को प्रदर्श पी-2 के माध्यम से विधिवत वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया था और उसके बाद अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-21) निर्दिष्ट स्थान के लिए रवाना हुए। अन्वेषण के दौरान, अभियुक्त/अपीलार्थी के मेमोरेंडम के आधार पर उसकी निशानदेही पर उसके घर से 3 किलोग्राम अफीम जब्त की गई। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अन्वेषण अधिकारी से अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का नए सिरे से पालन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपराध की निरंतरता में, अन्वेषण के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी का मेमोरेंडम दर्ज किया गया और उसके आधार पर जब्ती की गई तथा उससे पूर्व थाना प्रभारी द्वारा अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकता के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गई थीं। यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि अन्वेषण अधिकारी के कार्य को उचित ठहराने के लिए अधिनियम की धारा 42 का सारभूत अनुपालन पर्याप्त है और अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा इसका कोई लाभ नहीं लिया जा सकता। इस न्यायालय को अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं दिखता कि अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी-21) थाना प्रभारी थे और उन्होंने विधि के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण की थीं। अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थी प्रश्नगत घर का एकमात्र निवाग नहीं था और इसलिए विनिषिद्ध पदार्थ की जब्ती को उससे नहीं जोड़ा जा सकता। वर्तमान मामला वह है जहाँ जब्ती अभियुक्त/अपीलार्थी के मेमोरेंडम के आधार पर की गई थी और अपने घर में विनिषिद्ध पदार्थ रखने का तथ्य उसके स्वयं के विशेष ज्ञान में था तथा जब विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी हो गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त वस्तु किग और के द्वारा रखी गई थी न कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा। अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में और कोई बल नहीं है कि प्रदर्श

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पी-82 में ओवर-राइटिंग (काट-छाँट) की गई है क्योंकि यदि उक्त दस्तावेज को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कथित ओवर-राइटिंग दिनांक 14.04.2007 की घटना के संबंध में है जिसमें विनिषिद्ध पदार्थ जब्त की गई थी और जिसके लिए अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण किया गया था और उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। जहाँ तक उस घटना का संबंध है जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी से विनिषिद्ध पदार्थ जब्त की गई थी, दस्तावेज में कोई ओवर-राइटिंग नहीं है और प्राधिकारी ने कड़ाई से विधि के अनुसार कार्यवाही की थी। इस न्यायालय को अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं दिखता कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शा सके कि जब्ती के समय तैयार किए गए नमूने वही हैं जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए थे। अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह दर्शाते हैं कि प्राप्त नमूने 18.04.2007 को प्रदर्श पी-82ग के माध्यम से विधिवत मालखाने में जमा किए गए थे, उन्हें 20.05.2007 को प्रदर्श पी-86 के माध्यम से मालखाने से निकाला गया था और उग दिन उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, जिन्हें 21.05.2007 को प्रदर्श पी-92 के माध्यम से अक्षुण्ण अवस्था में प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया था। अन्वेषण अधिकारी के कथन की एतवा मार्शल (अभियोजन साक्षी-16) द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है।

10. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे स्थापित किया है और अधीनस्थ न्यायालय आक्षेपित निर्णय द्वारा उस पर भरोसा करने तथा अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध करने में पूर्णतः न्यायोचित रहा है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार इसे खारिज की जाती है। अभियुक्त/अपीलार्थी पहले से ही जेल में है, इसलिए उसके आत्मसमर्पण आदि के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाना आवश्यक नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के ग मित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किग अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी